केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के **उमर अब्दुल्ला** ने **केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री** के रूप में शपथ ग्रहण की।

- **पद की शपथ: अनुच्छेद 164(3)** के अनुसार, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को **राज्यपाल (अथवा केंद्रशासित प्रदेशों में उप-राज्यपाल) द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है।**
  - यह शपथ **संविधान** के प्रति निष्ठा और विधि अनुसार कर्त्तव्यों के निर्वहन को संज्ञापित करती है।
- उमर अब्दुल्ला **अनुच्छेद 370 के निरसन** होने और वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर के राज्य से **केंद्रशासित प्रदेश** में परिवर्तित होने के पश्चात् **पदभार ग्रहण करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री हैं।**
- **राष्ट्रपति शासन की समाप्ति: राज्य में आयोजित चुनाव के परिणामों के पश्चात् जम्मू-कश्मीर में** राष्ट्रपति शासन **का प्रतिसंहरण (समाप्ति) कर दिया गया।**
  - राष्ट्रपति शासन: संविधान के अनुच्छेद 356 में किसी राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक उपबंधों के अनुसार कार्य करने में अक्षम होने की दशा में राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष शासन (राष्ट्रपति शासन) लागू करने प्रावधान किया गया है।

//

और पढ़ें: मुख्यमंत्री

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/first-chief-minister-of-j-k-ut-takes-charge